**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 286

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**गैर-सरकारी विद्यालयों में ‘मिड-डे-मील योजना’ (एमडीएमएस)**

**के लाभ दिया जाना**

**286 श्रीमती रजनी पाटिलः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ‘मिड-डे मील योजना’ (एमडीएमएस) के अंतर्गत सम्मिलित विद्यालयों में दोपहर का भोजन सुरक्षित और स्वास्थ्यकर ढंग से पकाया और परोसा जाता है;

(ख) इस योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इस योजना का लाभ गैर-सरकारी विद्यालयों को दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

**‘‘गैर-सरकारी विद्यालयों में ‘मिड-डे-मील योजना’ (एमडीएमएस) के लाभ दिये जाने’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्रीमती रजनी पाटिल द्वारा दिनांक 22.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं.286 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

(क): भारत सरकार ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों को विद्यालय स्‍तर पर रसोईघरों में गुणवत्‍ता, सुरक्षा और स्‍वच्‍छता संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्‍य बातों के साथ-साथ विद्यालयों को यह अनुदेश है कि मध्‍याह्न भोजन बनाने के लिए एगमार्क गुणवत्‍ता वाली और ब्रांडेड मदों की खरीद करें, बच्‍चों को भोजन परोसे जाने से पूर्व कम से कम एक शिक्षक सहित 2-3 प्रौढ़ सदस्‍य भोजन को चखें और प्रत्‍यायित प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन के नमूनों की जांच के लिए परीक्षण प्रणाली स्‍थापित करें। इसके अलावा, मध्‍याह्न भोजन नियमावली, 2015 में सरकार द्वारा मान्‍यताप्राप्‍त प्रयोगशालाओं से भोजन के नमूनों की अनिवार्य जांच कराने की व्‍यवस्‍था है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन पोषक मानकों और गुणवत्‍ता पर खरा है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अंतर्गत बच्‍चों को गुणवत्तापरक भोजन परोसा जाता है, केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर व्‍यापक निगरानी तंत्र को अंगीकृत भी किया है।

(ख): 2016-17 के दौरान इस योजना के तहत औसत आधार पर 11.40 लाख संस्‍थाओं में अध्‍ययनरत 9.78 करोड़ बच्‍चे लाभान्‍वित हुए हैं।

(ग): जी, नहीं। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कक्षा-8 तक अथवा 6-14 वर्ष के आयु समूह में आने वाले स्‍थानीय निकाय, सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्‍त सभी विद्यालयों में बच्‍चे, स्‍कूल की छुट्टी के सिवाय प्रत्‍येक दिन, एक मध्‍याह्न भोजन नि:शुल्‍क लेने के पात्र हैं ताकि अधिनियम में निर्धारित पोषण-मानक पूरे हों।

**\*\*\*\*\***